यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) के माह **04/2014 से 11/2016** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राकेश रंजन एवं श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री जतिन राणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **19/12/2016 से 29/12/2016** तक श्री बी. डी सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–प्रथम

1. **परिचयात्मकः–**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक **26.06.2014 से 03.07.2014** तक श्री राकेश कुमार, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**
   इकाई द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य/उपयोगी शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक बच्चे की पहुंच तक विद्यालय स्थापित करने, मूलभूत सुविधायें विकसित करने, शालात्यागी होने से बचने हेतु निःशुल्क भोजन, गणवेश, पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण उपयोगी सामग्री उपलब्ध करवानें एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उधमसिंह नगर जनपद के सात विकासखण्ड है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष		
		2014–15	2015–16	2016–17
1.	प्रारंभिक अवशेष	1023.88	1334.51	9.32
2.	वर्ष में कुल प्राप्तियां			
	केन्द्रांश	2396.25	1650.67	1845.47
	राज्यांश	1290.29	888.82	993.71
	अन्य श्रोतों से			.63
3.	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां (1+2)	4710.41	3874.00	2848.56
4.	वर्ष के दौरान कुल व्यय	3375.90	3864.68	2689.75
5.	अंतिम अवशेष (3–4)	1334.51	9.32	158.81

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (–)
2014–15	–	–	–	–	–	–
2015–16	–	–	–	–	–	–
2016–17	–	–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 90:10 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की हैं। विभाग का संगठनात्मक ढ़ाचा निम्नवत है:

राज्य परियोजना अधिकारी
(सचिव)

उप–राज्य परियोजना अधिकारी

जिला परियोजना अधिकारी

विकास खण्ड परियोजना अधिकारी

ब्लाक समन्वयक

संकुल समन्वयक

विद्यालय (एम.एम.सी)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि : लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहें हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) की लेखापरीक्षा में पाए गए निष्कर्षो पर आधारित है। माह जुलाई 2015 एवं अक्टूबर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखाकार के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट 1971) की धारा 1 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः (1) ₹ 59.26 लाख व्यय होने के बावजूद भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा, पूर्वमाध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की आधारभूत संरचनाओं में सुधार करने हेतु अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान राज्य के माध्यम से उन विद्यालयों को दिया जाता है, जिसमें अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा शौचालयों के निर्माण की अतिआवश्यकता हो। इसी क्रम में जिला परियोजना अधिकारी उधमसिंह द्वारा अतिरिक्त कक्षा कक्ष तथा शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2011–12 से 2015–16 में उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से निम्न धनराशि का आवंटन किया गयाः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	बजट आवंटन				प्राप्ति के अनुसार व्यय			
	अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण		शौचालय निर्माण		अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण		शौचालय निर्माण	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2011–12	110	352.00	24	13.50	110	352.00	24	13.20
2012–13	131	419.20	28	15.40	109	323.87	28	15.40
2013–14	0	0	0	0	0	0	0	0
2014–15	25	120.75	71	124.96	17	99.80	67	118.45
2015–16	39	0	48	104.48	0	0	46	79.91

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्माण कार्यो की लेखापरीक्षा के दौरान निम्न तथ्य संज्ञान में आयेः

1. वर्ष 2012–13 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण कार्यो जिनके निर्माण हेतु ₹ 43.20 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, पर अभी तक इन कार्यो पर व्यय ₹ 38.88 लाख दर्शाया गया तथा इन कार्यो की अद्यतन भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक दर्शायी गयी है। अतः ये निर्माण कार्य विगत चार वर्षो से अधूरे पड़े है।
2. वर्ष 2014–15 में 07 कार्यो जिनमें 05 कार्य अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण तथा शेष 02 कार्य शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित थे, हेतु ₹ 32.50 लाख की धनराशि आवंटित थी, पर अभी तक इन कार्यो पर ₹ 20.36 लाख व्यय दर्शाया गया है तथा इन कार्यो की अद्यतन भौतिक प्रगति शून्य से 75 प्रतिशत तक दर्शायी गयी है।
3. दो मामलों, जिनमें प्राथमिक विद्यालय जगरपुरी (गदरपुर) में अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा प्राथमिक विद्यालय गोबरा (बाजपुर) में शौचालय का निर्माण करना था। उपरोक्त कार्यो हेतु वर्ष 2014–15 में इन विद्यालयों को ₹ 01.39 लाख तथा ₹ 01.58 लाख निर्गत किये गये थे, पर अभी तक इन विद्यालयों की मैनेजमेंट द्वारा यह कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर जिला परियोजना अधिकारी रूद्रपुर उधमसिंह नगर द्वारा अपने उत्तर में यह बताया गया कि धन की समय पर उपलब्धता न होने के कारण अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तथा पी.यस.गोबरा में किसी भी विद्यार्थी के पंजीकृत न होने के कारण अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं

किया गया। उत्तर में यह भी बताया गया कि इन अधूरे कार्यो को पूर्ण करने लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु उच्च स्तर पर पत्राचार किया गया है। परन्तु लेखापरीक्षा को इस पत्राचार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः जिला परियोजना अधिकारी, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के द्वारा विगत चार वर्षो से लेखापरीक्षा तिथि तक ₹ 59.26 लाख व्यय करने के बावजूद भी लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः (2) वर्ष 2011–12 के अंतिम शेष व वर्ष 2012–13 के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर ₹ 1,57,83,231.00

सर्वशिक्षा अभियान के Annual Financial Statement किसी Chartered Accountant द्वारा बनाए जा रहें है, जिसमें Balance Sheet, Income Expenditure Statement तथा Receipt Payment Account शामिल हैं। वर्ष 2011–12 से 2015–16 सर्व शिक्षा अभियान के Receipt Payment Account के अनुसार प्रत्येक वर्ष का प्रारम्भिक तथा अंतिम अवशेषों का विवरण निम्न हैंः

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेंष (₹)	अंतिम अवशेंष (₹)
2011–12	116,775,690.55	194,711,815.55
2012–13	178,928,584.55	17,429,802.25
2013–14	17,429,802,.25	109,043,649,80
2014–15	109,043,649.80	154,853,399.41
2015–16	154,853,399,41	106,275,62.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंतिम अवशेष जो कि ₹ 19,47,11,815.55 है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रांरभिक अवशेष जो कि ₹ 17,89,28,584.55 हैं, के बीच धनराशि ₹ 1,57,83,231.00 का अंतर हैं, जो नहीं होना चाहिए। इस अन्तर का समाधान किया जाना आवश्यक है।

क्योंकि यह अन्तर Balance Sheet में साफ–साफ दर्शाया गया है और यह Balance Sheet किसी मान्यता प्राप्त Chartered Accountant द्वारा संकलित की गयी है। अतः इस अन्तर के समाशोधन हेतु विभागीय स्तर पर जांच की आवश्कता है। उत्तर में कहा गया है कि वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के सभी लेनदेनों की जांच के बाद लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तरः– (1) ₹ 41.12 लाख की धनराशि का उपभोग न कर 10,280 बालक/बालिकाओं को गणवेश से वंचित रखना तथा गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत कक्षा 1 से 8 तक के पंजीकृत/अध्ययनरत समस्त बालिकाओं एवं एस.सी./एस.टी./गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों के बच्चों को दो जोड़ी गणवेश (यूनिफॉर्म) ₹ 400 प्रति बच्चे की दर से दिये जाने का प्रावधान है। गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों के अनुसार सर्वप्रथम (1) प्रत्येक विद्यालय कम से कम तीन सप्लायरों से कोटेशन प्राप्त कर कपड़े का नमूना कोटेशन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे एवं (2) कपड़े के नमूने के साथ प्राप्त कोटेशन का मूल्यांकन क्रय समिति अर्थात् विद्यालय समिति (एस.एम.सी.) के सदस्य, प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन कर गणवेश के लिए सिले जाने वाले कपड़े का निरीक्षण एवं अनुमोदन क्रय समिति द्वारा दिया जाएगा।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) के यनिफॉर्म से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जनपद में वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षा 1 से 8 तक के कुल 3,29,939 बालक/बालिकाओं हेतु ₹ 1319.76 लाख स्वीकृत किए गये थे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परियोजना कार्यालय द्वारा 3,19,659 बालक/बालिकाओं हेतु ₹ 1278.64 लाख विद्यालयों को अवमुक्त किया एवं ₹ 41.12 लाख अवशेष रही। नीचे तालिका में दिए गए विवरण से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष जनपद में योग्य बालक/बालिकाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग नहीं किया गया था, जिससे प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा या तो जनपद के तौर पर तैयार किया गया या योग्य बालक/बालिकाओं को पूर्ण रूप से गणवेश वितरित नहीं की गई। कार्यालय में इस तरह के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करें कि प्रत्येक योग्य बालक/बालिकाओं को गणवेश वितरित की गई, वर्षवार गणवेश का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	छात्र संख्या (1–8)	गणवेश हेतु प्राप्त राशि	अवमुक्त राशि	वास्तविक व्यय	गणवेश वितरीत छात्रों की संख्या	अवशेष राशि	अवशेष छात्र
2013–14	113473	453.892	445.912	445.912	111478	7.980	1995
2014–15	110360	441.44	423.292	423.292	105823	18.148	4537
2015–16	106106	424.424	409.432	409.432	102358	14.992	3748
कुल	**329939**	**1319.756**	**1278.636**	**1278.636**	**319659**	**41.12**	**10280**

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में चयनित एवं उपलब्ध विद्यालयों के गणवेश से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों में नमूना जांच में पाया कि गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। विद्यालयों द्वारा गणवेश क्रय हेतु कोटेशन तो प्राप्त किए गये थे परन्तु प्राप्त कोटेशनों में न तो कपड़े के

नमूने संलग्न थे एवं न ही मूल्यांकन क्रय समिति का अनुमोदन था। जिससे प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा उक्त व्यय बिना गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया, जो कि अनियमित था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि विकास खण्डों से प्राप्त मांग के अनुसार समस्त पात्र बच्चों को गणवेश दिया जाता है। गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों के अनुपालन न किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि इस हेतु पत्र के माध्यम से स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए जाते है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन समस्त प्रावधानों को दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्व में ही किया जाना चाहिए था।

अतः ₹ 41.12 लाख की धनराशि का उपभोग न कर 10,280 बालक/बालिकाओं को गणवेश से वंचित रखना तथा गणवेश क्रय सम्बन्धी वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं एवं वर्ष	भाग– 2 'अ'	भाग– दो 'ब'	STAN
12 / 2004–05	01,02	–	–
04 / 2005–06	–	1,2,3,4	–
21 / 2006–07	01	01,02	–
66 / 2010–11	01,02	01,02,03	–
28 / 2011–12	01	01,02,03,04	–
64 / 2014–15	–	01,02,03	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग–चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. कार्यालय में रोकड़बही एवं अन्य अभिलेखों का उचित ढंग से रख–रखाव किया गया था।
2. आय–व्ययक एवं गार्ड फाईल का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।
3. कार्यालय के अधीन समस्त विद्यालयों की अवसंरचना, अध्ययनरत छात्र / छात्राओं की संख्या एवं अवमुक्त धनराशि की सूचना समन्वयकों द्वारा अद्यतन थी।

भाग– पांच

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोंग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

   (i) विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

   (ii)

2. सतत् अनियमितताऐं:

   (i) –शून्य–

   (iii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री कमलेश कुमार वार्ष्णेय	जिला परियोजना अधिकारी	01.01.2014 से 31.07.2014
2.	श्री पी. एन. सिंह	जिला परियोजना अधिकारी	01.08.2015 से 09.2015
3.	श्री दिनेश चन्द्र सती	जिला परियोजना अधिकारी	09.2015 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा दल संख्या–8
शिविर–जिला परियोजना अधिकारी,
एस.एस.ए., रूद्रपुर (उधमसिंह नगर।)